दैनिक
# न्याय साक्षी



## दो ट्रकों में लोड 10 लाख के कबाड़ के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार

**» आरोपियों से एक कार, दो ट्रक, 33 टन कबाड़, ऑक्सीजन सिलेंडर व गैस कटर बरामद**

न्याय साक्षी/रायगढ़। कुछ दिनों पूर्व थाना भूपदेवपुर क्षेत्रांतर्गत अवैध कबाड़ परिवहन की सूचनाएं वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा थाना प्रभारी भूपदेवपुर को अवैध कबाड परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम साहू द्वारा क्षेत्र में अवैध कबाड के संग्रहण एवं परिवहन पर निगाह रखने के लिये अपने कर्मचारी एवं मुखबीरों को सक्रिय किया गया कि दिनांक 16.10.19 के रात्रि थाना प्रभारी निरीक्षक साहू को मुखबिर से सूचना मिला कि एक सफेद कार की निगरानी में दो ट्रक पर कबाड लोड होकर ग्राम बिंजकोट की ओर से जा रहे है। सूचना पर निरीक्षक साहू द्वारा थाना भूपदेवपुर एवं थाना खरसिया से स्टाफ बुलवाकर कई स्थानों पर नाकेबंदी पाईंट लगाया गया कि देर रात्रि बिंजकोट बाजार डांड के पास से एक कार KUV100 UP 51 Q/7355 के पीछे दो ट्रक सीजी 08 एल 0391 एव डीएल 01 जेसी 6086 आते मिले। वाहनों को रोककर पुलिस स्टाफ द्वारा कार में सवार व्यक्ति से पूछताछ किया गया। कार में सवार व्यक्तियों ने अपना नाम वंश राज, लालमन एवं प्रेम चौधरी बताए। वंशराज वर्मा निवासी चकचई अवनीगंज जिला सिद्धार्थ नगर (पी) ने बताया कि ग्राम बिंजकोट में रहने वाले सुधीर वर्मा की कंपनी एस.बी. स्टील में सुपरवाइजर का काम करता है। दिनांक 16.10.19 को मालिक सुधीर वर्मा ग्राम बिंजकोट कबाड़ गोदाम से कबाड़ लोहा, छड़, प्लेट को ट्रकों में लोड कारकर कार के चालक लालमन एवं प्रेम चौधरी के साथ ट्रक के चालक रामराज एवं जितेन्द्र कुमार के साथ बिक्री करने भेजा है। वाहन चेक करने पर ट्रक सीजी 08 एल 0391 एव डीएल 01 जेसी 6086 में 18 टन कबाड (कुल 33 टन कबाड कीमती 9,90,000 रूपये) मिला। कबाड परिवहन के संबंध में इनके द्वारा कोई कागजात पेश नहीं करने पर ट्रक में लोड संपत्ति चोरी के होने के संदेह पर ट्रक में लोड कबाड़ को कब्जे में लिया गया। आरोपी प्रेम चौधरी गैस कटर से कटिंग का कार्य करता है जिसके पास कार में रखा हुआ 04 नग गैस सिलेंडर, 03 नग गैस कटर व तांबे का अधजला तार जप्त किया गया व घटना में प्रयुक्त कार, ट्रक मय लोड कबाड जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना भूपदेवपुर में धारा 41(1-4)जाफौ/ 379, 34 भदवि की कार्यवाही की गई है।

कार्यवाही में टी.आई. उत्तम साहू, सउनि चंदन सिंह नेताम, थाना खरसिया के प्र.आर. शंकर सिंह क्षत्रिय, आरक्षक राजेश राठौर, राजेश पैंकरा। थाना भूपदेवपुर आरक्षक भुवनेश्वर सिदार, पुष्पेन्द्र सिदार, दसरथ सिदार, कृष्ण कुमार वारेन की सराहनीय भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपियों में (1) वंश राज वर्मा पिता तिलकराम वर्मा उम्र 46 वर्ष, (2) लालमन वर्मा पिता पृथ्वीपाल वर्मा उम्र 40 वर्ष, (3) प्रेम चौधरी पिता रामसागर उम्र 23 वर्ष तीनों निवासी चकाचई थाना अवनी गंज सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, (4) राम राज राजपूत पिता सियाराम राजपूत उम्र 27 वर्ष , (5) जितेंद्र कुमार राजपूत पिता रामाश्रय राजपूत 23 वर्ष दोनों निवासी पहिरार थाना सफीपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### धरमजयगढ़ में 550 लिटर मिट्टी तेल के साथ युवक को पकड़ा गया

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ स्टाफ द्वारा धरमजयगढ़ में रहने वाले आरोपी सोनू उर्फ राजेश कुमार साव पिता अर्जुन साव उम्र 28 वर्ष के पास से 550 लिटर (साढ़े पांच सौ लीटर) मिट्टी तेल पकड़ा गया। मिट्टी तेल चोरी का होने के संदेह में आरोपी के विरूद्ध धारा 41(1-4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कारवाई की गई है।

### बाईक में अवैध परिवन करते 34 पाव अंग्रेजी शराब जप्त सहित युवक गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। गस्त दौरान थाना घरघोडा स्टाफ द्वारा मो0सा0 एचएफ डिलक्स क्रमांक सीजी 13 एक्स 4083 में आरोपी विजय टण्डन पिता रतिराम टण्डन उम्र 30 वर्ष साकिन वार्ड क्र. 04 घरघोडा को प्लास्टिक झोला में 10 पाव गोवा अंग्रेजी शराब, 20 पाव ग्राण्ड कोलम्बिया स्पेशल व्हीस्की शराब, 4 पाव मेकडावेल नम्बर-1 शराब (कुल 34 नग कीमत 2840 रूपये) के साथ पकडे हैं। आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

### सट्टा लिखते पकड़े गये युवक पर पूंजीपथरा पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा दिनांक 16.10.19 को अजय सेलून गेरवानी का श्यामतनाथ श्रीवास अपने सेलून में अवैध रुप से सट्टा पट्टी लिखने की सूचना पर आरोपी श्यामतनाथ श्रीवास पिता शोभनाथ श्रीवास उम्र 47 वर्ष सा0 गेरवानी लाखा (नया बस्ती) थाना सिटी कोतवाली को पकडा गया जिसके कब्जे से सट्टा पट्टी पांच नग 1900 रूपये का लिखा हुआ एवं नगदी रकम 1210 रूपये, एक डांट पेन जप्त) किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

### यातायात जागरूकता कार्यक्रम 21 एवं 22 अक्टूबर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। स्कूल के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के संबंध में 21 अक्टूबर को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर साइकलिस्ट श्री संतोष मिश्रा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों से अवगत करायेंगे। संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी श्री सुजीत अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 बजे से शास.कन्या उ.मा.विद्यालय रायगढ़ एवं अपरान्ह 3 बजे से शा.नटवर हा.से.स्कूल रायगढ़ तथा 22 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11 से शा.चक्रधर नगर हा.से.स्कूल रायगढ़ एवं अपरान्ह 3 बजे से शा.जूटमिल उ.मा.वि.रायगढ़ में यातायात नियमों के संबंध में छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जाएगा।

### डॉयल 112 इवेंट

#### उड़ीसा का गुम हुआ बालक राइनो को मिला

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतवाली राइनो-2 (जुटमिल) को गुम बालक मिलने का इवेंट मिला। इवेंट पर आरक्षक डहरू राम उरांव एवं आरक्षक राकेश टोप्पो मिनीमाता चौक जुटमिल पहुंचे। गुम बालक महेश पटेल पिता सुरेश पटेल उम्र 14 साल निवासी गंगानगर ब्रजराजनगर नवधा चौक उड़ीसा से आरक्षकों द्वारा पूछताछ करने पर घर से बिना बताए रायगढ़ आना बताया जिसे बाल संरक्षण गृह चक्रधरनगर ईआरवी वाहन में बिठाकर आरक्षकों ने छोड़ा। बाल संरक्षण गृह से थाना ब्रजराजनगर को सूचना देने पर आज गुम बालक के परिजन रायगढ़ आए जिनके सुपुर्द बालक को किया गया है।

#### महिला को सांप ने काटा

लैलूंगा राइनो को मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर ग्राम गहिरा के लिए रवाना किया गया ग्राम गहिरा में रहने वाली मुक्ता गुप्ता पति इन्द्रोजेन गुप्ता उम्र 26 वर्ष को घर पर जहरीले सांप ने काट दिया था। राइनो के आरक्षक हरीश पटेल थाना लैलूंगा द्वारा मुक्ता गुप्ता को सीएससी लैलूंगा ले जाकर भर्ती कराया गया है।

#### अज्ञात वाहन ने वृद्ध महिला को ठोकर मारा

लैलूंगा राइनो को सलखिया के पास रोड एक्सीडेंट के इवेंट पर लैलूंगा राइनो को रवाना किया गया। जहां ग्राम बगुडेबा की रहने वाली श्रीमती अमरवती पति उदित राम उम्र 60 साल को किसी अज्ञात वाहन द्वारा पैदल घर जाते समय एक्सीडेंट कर भाग गया था। अहिता को आरक्षक हरीश पटेल थाना लैलूंगा द्वारा ईआरवी वाहन में बैठकर सीएससी लैलूंगा पहुंचाया गया है।

## वाहन खरीदी में किसानों का बढ़ा रूझान

**» शासन की लोकहितैषी योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति हुई सशक्त**

**» ऑटो सेक्टर में बढ़ोत्तरी ने लिखी सफलता की नई इबारत**

**» किसान गजेन्द्र का नई कार खरीदने का सपना हुआ पूरा**

न्याय साक्षी/रायगढ़। शासन की लोकहितैषी विकासात्मक योजनाओं के कारण जनसामान्य की क्रय शक्ति में बढ़ोत्तरी हुई है। प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत बन रही है। शासन की ओर से उठाये गये सशक्त कदम की वजह से देशव्यापी मंदी का असर छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा। प्रदेश में ऑटो सेक्टर में बढ़ोत्तरी ने सफलता की नई इबारत लिखी है। आम जरूरतों के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है। किसानों ने विशेषकर ऑटो सेक्टर में वाहन खरीदी में विशेष रूचि दिखाई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की कर्जमाफी योजना, 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी एवं तेन्दूपत्ता बोनस प्रोत्साहन राशि जैसी योजनायें इस दिशा में कारगर सिद्ध हो रही है।

रायगढ़ जिले के ग्राम दुलोपुर निवासी श्री गजेन्द्र प्रसाद पटेल के खुशी की सीमा नहीं है। वे बताते है कि पहले तो कर्ज में डूबे हुए थे। पर जब 2 लाख 50 हजार रुपए की कर्जमाफी हुई, वहीं समर्थन मूल्य में धान खरीदी से 11 लाख 65 हजार प्राप्त हुए तो राहत मिली। तब उन्होंने नई कार खरीदी है। नई कार खरीदने के लिए पैसा भी जोड़ रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शासन की इस योजना से लाभान्वित होकर अब उन्होंने न केवल नई कार बल्कि नया ट्रेक्टर भी ले लिया है, जो एक बड़ी सौगात है। श्री गजेन्द्र ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के शुक्रगुजार हैं और उनकी दुआ से नई कार खरीद पाये हैं। उनकी पत्नी श्रीमती सहोद्रा पटेल ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि नई कार के आ जाने से देवी मां के दर्शन करने चंद्रपुर में चंद्रहासिनी मंदिर गए, बुजुर्ग माता को लेकर परिजनों के यहां आने-जाने में सुविधा भी हो गई है। ग्राम नौरंगपुर के किसान श्री अशोक कुमार साहू ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि शासन द्वारा 14 हजार रुपए की ऋण माफी की गई है और उन्हें 16 हजार रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी से प्राप्त हुए है, जिससे उन्होंने अपना नया वाहन खरीदा है। वे कहते है कि खेत-खलिहान एवं आसपास के गांव जाने में अब बेहद सहुलियत होगी।

## अवैध पार्किंग पर हुई कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज यातायात पुलिस द्वारा शहर के मुख्य मार्गों में अवैध पार्किंग किए हुए कमर्शियल वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया गया। उक्त कार्यवाही में 31 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही कर 31000 समन शुल्क रकम वसूल किया गया। साथ ही सभी वाहन चालकों/ मालिकों को स्पष्ट रूप से हिदायत दिया गया की व्यस्तम समयो को छोड़कर जैसे प्रातः 9:00 बजे के पूर्व एवं दोपहर 1:30 बजे से 4:00 बजे के बीच आवागमन परिवहन किया जाए एवं सभी व्यापारी बंधुओं को भी समझाइश एवं पांप्लेट के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। दीपावली पर्व दौरान जिला मुख्यालय में सुचारु यातायात बनाए रखने में यातायात पुलिस का सहयोग करने विनम्र अपील की गई।

## जात-पात की छोड़ो बात, सभी धर्म एक समान- बापू की सीख

**» तीन दिवसीय पोस्टर प्रदर्शनी का हुआ समापन**

**» गांधी जी की वेशभूषा में पहुंचे बच्चे**

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150 वीं जयंती पर कलेक्ट्रेट के सृजन सभाकक्ष में आयोजित पोस्टर प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। आज मुक्ति प्रकाश उ.मा.वि.रायगढ़, शालिनी कान्वेंट उ.मा.वि.रायगढ़, गुरूनानक हाईस्कूल रायगढ़ के लगभग 200 बच्चे एवं शिक्षक-शिक्षिकाएं अंतिम दिन प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। बच्चों में बापू की प्रदर्शनी को लेकर इतना उत्साह था कि शालिनी विद्यालय के छात्र-छात्राएं गांधी जी का वेश धारण कर सभाकक्ष कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। जहां उन्होंने पोस्टर प्रदर्शनी व पपेट डाक्यूमेन्ट्री के माध्यम से गांधी जी के जीवन को और विस्तार से जाना। गुरूनानक हाईस्कूल रायगढ़ के उनके सुविचारों की तख्तियां लेकर व साबरमती आश्रम की झांकी बनाकर गांधी जी के दर्शन सर्वोदय' अर्थात सब का उदय' एवं सब प्रकार से उदय' का संदेश देते हुए अपने विद्यालय से सृजन बनाकर रहना, सभी धर्म का सम्मान करना, जात-पात के भेदभाव से दूर रहना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, मानव, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे व प्रकृति सभी से एक समान लगाव रखना।

विद्यार्थी अनन्या, प्रतिज्ञा, पूनम, अनुष्का, मोहम्मद कैफ, विशेष, अरूण, साहिल तथा हलेन्द्र ने गांधी जी के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि वे सभी गांधी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखते है जैसे हमेशा सच बोलना, आपस में प्रेम व शांति के साथ मित्रता एवं भाईचारा

## मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की समयावधि बढ़ी

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम ईभीपी (इलेक्टर्स वेरीफिकेशन प्रोग्राम)की समयावधि 18 नवंबर 19 तक बढ़ा दी गई है। जिले के समस्त मतदाता जिन्होंने मतदाता सूची में सत्यापन नहीं कराया है वे सत्यापन हेतु मतदाता परिचय पत्र के साथ भारतीय पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी/अर्द्धशासकीय पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र के माध्यम से अपने बूथ लेवल आफिसर, नगर पालिक निगम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय (तहसील कार्यालय), जिला निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ (सामान्य), कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी)में करा सकते है। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में डिजिटल वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है जिसमें मतदाताओं द्वारा अपने इपिक क्रमांक के माध्यम से परिवार के सभी मतदाताओं की फैमिली टेगिंग कर सकते है इसके अलावा मतदाता स्वतः राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनभीएसपी)के इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम (ईभीपी)पेज में मौजूदा प्रविष्टि के ईआर विवरण का अवलोकन कर सत्यापित/प्रमाणित करते हुए इपिक नंबर डाले और सर्च पर क्लीक करने पर मतदाता विवरण दर्शित होगी, जिसे आपको सत्यापन करना होगा। यदि विवरण में डिस्क्रीप्शन सही है तो ड्रापडाउन में दर्शाये गए दस्तावेज अपलोड कर दस्तावेज संख्या दर्ज कर सत्यापित करें। यदि विवरण में डिस्क्रीप्शन में सुधार की आवश्यकता हो तो मतदाता व्यक्तिगत विवरणों को सही कर सकता है और सहायक दस्तावेज अपलोड कर सकता है।

## धरमजयगढ़ के दूरस्थ अंचल ग्राम छाल हाटी में लगा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक

**» स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा किया गया निःशुल्क ईलाज**

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना अंतर्गत रायगढ़ जिले के दूरस्थ अंचल धरमजयगढ़ विकास खण्ड के ग्राम- छाल, हाटी एवं नवापारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। बाजार करने आने वाले ग्रामीणों ने बताया कि शासन की यह योजना दूरस्थ अंचलों में निवास करने वाले ग्रामीण अंचल के लिए बेहद फायदेमंद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बाजार में आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करा रहीं हैं।

## संतराम की पानी में डूबने से मृत्यु

**» पत्नी सुलेन्दी को 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत**

न्याय साक्षी/रायगढ़। तहसील पुसौर के ग्राम अमलीपाली निवासी संतराम की 4 अगस्त 2018 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर कलेक्टर रायगढ़ द्वारा एसडीएम रायगढ़ की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक की पत्नी सुलेन्दी बाई चौहान को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480